

फर्ड अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

लोगर
पाद

विपक्षी

लोगर

पत्रावली संख्या 43/19 सन

पमा

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

जो 21/11/21
य.न. 1 (मा.व. (डी) 4220)

3/11/21
पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-28/2/22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

~~8/11/21
पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-28/2/22 को पेश~~

28/2/22

पत्रावली पेश 21/11/21

5/11/21 को मा.व. (डी) 4220 में पेश की गई।
2/11/22 को पेश की गई।

6/6/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक-25/7/22 को पेश हो।

25/7/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पों उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक-16/10/22 को पेश हो।



10/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पॉ उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी महो. आज अबकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
दिनांक...10/10/22...को पेश हो।

19/10/22

अधिवक्ता वादी/अपीलाण्ट/उप./ जवाब
के बिये मौका चाहते हैं। अतः... इंफॉर्म
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि... 08/10/22
की पेश हो।

SDO मावली

02/10/23

अधिवक्ता वादी/अपीलाण्ट/उप./ जवाब
के बिये मौका चाहते हैं। अतः... इंफॉर्म
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि... 07/10/23
की पेश हो।

SDO मावली

3/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पॉ उपस्थित/पीठासीन राजकीय
अधिकारी महो. आज अबकाश/भ्रमण/मिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में अवकाश
दिनांक...4/04/23...की पेश हो।

04/4/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी
अनुपस्थित। आवजे दिलवाई गई। समय सांय
5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अतः
अधिवक्ता मय वादी अनुपस्थित रहने पर वादी
का वाद अफम हाजबी अहम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल अमार होकर
नम्बर से कम हो।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली